REVISED CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETY

I hereby certify that Garhwal Sabha, Faridabad registered vide registration number 73 on 20.02.1974 registered with Registrar of Societies, Haryana Chandigarh has been allotted a new Registration Number as undermentioned on this 27th September, 2013 under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No.1 of 2012).

State Code		District Code			Year of Registration				Registration Number				
H	R	0	1	9	2	0	1	3	0	0	5	3	4

Name of the Society	Registered Office Address
"GARHWAL SABHA"	2C, NIT, Faridabad.

Issued under my hand at Faridabad this 27th day of September, 2013.

District Registrar of Societies * FARIDABAD (Hr.) * सत्यमेव जयते

(Anil Kumar Choudhary)
District Registrar of Societies,
Office at DIC Building, Neelam Chowk,
NIT, Faridabad.

समिति का ज्ञापन–पत्र

1. समिति का नामः गढ़वाल सभा, फरीदाबाद

2. पंजीकृत कार्यालयः 2–सी, बद्री नारायण मन्दिर, एन.आई.टी.,फरीदाबाद
दूरभाष–0129–2414015, 2434475

3. कार्यक्षेत्र : जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

4. उद्देश्यः
(क) गढ़वाल व गढ़वाली समाज के उत्थान के लिए धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण करके उन्हें एक सूत्र में बांधकर गढ़वाली भाषा, साहित्य और संस्कृति का सर्वांगीण विकास करना मुख्य उद्देश्य है।
(ख) गढ़ प्रवासी बंधुओं के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक उत्सवों तथा अन्य उचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मन्दिर, धर्मशाला एवं विद्यालय के भवनों का निर्माण करना।
(ग) गढ़वाली साहित्य और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देना तथा कार्यशील गढ़ प्रवासियों को सम्मानित करना।
(ध) मन्दिर, विद्यालय, वाचनालय एवं पुस्तकालय की स्थापना करके शिक्षा एवं साक्षरता को प्रोत्साहन देना।
(ड.) विभिन्न प्रकार के कार्यकमों का आयोजन कर दलित, पिछड़े वर्ग, अनाथ बच्चों और असहाय महिलाओं की सहायता करना।
(च) इसके अतिरिक्त आर्थिक स्तर को उठाने के लिए यथा सम्भव साधन जुटाना।
(छ) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना। परिवार नियोजन तथा रैडकॉस कैम्पों आदि का आयोजन करना।
(ज) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन की व्यवस्था करना, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, चेरीटेबल संस्थाओं तथा आम नागरिकों से अनुदान आदि द्वारा समिति के प्रयोग हेतु सम्पत्ति का निर्माण करना।
(झ) समिति की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सम्बन्धित कार्यों का निस्पादन करना।

5. समिति की आय तथा सम्पत्तिः
समिति की आय तथा सम्पत्ति को समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही प्रयोग किया जाएगा तथा इन्हें किसी भी प्रकार समिति

District Registrar of Societies FARIDABAD (Hr.)

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)
2सी, एन.आई.टी. फरीदाबाद

GOVERNING BODY OF THE GARHWAL SABHA(REG.)

The following persons, whose names & addresses are subscribed hereunder, agree to the memorandum and by-laws of the society shall constitute the governing body of the society hereinafter;

Sr.No	Name	Father's/H	Address	Occupation	Designation	Signatures
1	RAKESH GHILDIYAL	LATE. MANGAT RAM SHARMA	H.NO-62 SEHATPUR FARIDABAD	BUSINESS	PRESIDENT	
2	PRATAP SINGH BAGRI	LATE.NATHU SINGH BAGRI	FCA-2257, B-BLOCK, SGM NAGAR	SERVICE	SR.VICE PRESIDENT	
3	SATISH RAWAT	LATE.SADHA SINGH	H.NO-845,JAWAHAR COLONY, FARIDABAD	SERVICE	VICE PRESIDENT	
4	YOGESH BUDAKOTI	LATE.NATHI RAM SHARMA	H.NO-883,JAWAHAR COLONY, FARIDABAD	BUSINESS	GENERAL SECRETARY	
5	BHOPAL SINGH GUSAIN	SHYAM SINGH	H.NO D776, DABUA COLONY, FARIDABAD	SERVICE	SECRETARY	
6	PREM SINGH PATWAL	SHEN SINGH PATWAL	H.NO-F-8318B.APNAGHAR FARIDABAD	RETIRED	EDUCATION SECRETARY	
7	P.N.BHATT	LATE.U.S.BHATT	H.NO-1960,SEC-8, FBD.	BUSINESS	TREASURER	
8	BALWANT SINGH NEGI	DEWAN SINGH NEGI	FCA-599,SGM NAGAR FBD.	SERVICE	DEPUTY TREASURER	
9	VINOD NEGI	SANKAR CHAND NEGI	267A/6,DURGA ENCLAVE, FARIDABAD	SERVICE	CULTURAL SECRETARY	
10	VIRENDER SINGH NEGI	RAM SINGH NEGI	E-1057,DABUA COLONY, FARIDABAD	BUSINESS	OFFICE SECRETARY	

District Registrar of Societies FARIDABAD (Hr.)

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव

GOVERNING BODY OF THE GARHWAL SABHA(REG.)

The following persons, whose names & addresses are subscribed hereunder, agree to the memorandum and by-laws of the society shall constitute the governing body of the society hereinafter;

11	GAJINDER SINGH RANA	PAR SINGH RANA	DC-579,DABUA COLONY,FBD.	BUSINESS	ORGN. SECRETARY	
12	VINOD PD.NAUTIYAL	DEVKI NANDAN NAUTIYAL	F-2/77,DURGA BIHAR, FARIDABAD	BUSINESS	COMUNICATION SECRETARY	
13	T.R.DOBRIYAL	LATE.M.D.DOBRIYAL	FCA-1904,SGM NAGAR FARIDABAD	BUSINESS	ADVISER	
14	ARVIND BHATT	SH.MAHESH BHATT	H.NO-2227A,SEC-3 FARIDABAD	SERVICE	ADVISER	
15	DIGVIJAY RANAWAT	MANGAL SINGH RANAWAT	FCA-144, SGM NAGAR, FARIDABAD	BUSINESS	ADVISER	
16	SHIV SINGH RAWAT	M.S.RAWAT	B-2221,SGM NAGAR, FARIDABAD	RETIRED	ADVISER	
17	GURU PRASAD UVIYAL	LATE.KALI RAM	H.NO-696,INDRA NAGAR, FARIDABAD	RETIRED	ADVISER	
18	DIGPAL SINGH RAWAT	MADAN SINGH RAWAT	1503/7.PARWATIYA COLONY, FARIDABAD	BUSINESS	ADVISER	
19	JASWANT SINGH RAWAT	KHYAT SINGH	D/A 1540A, DABUA COLONY. FARIDABAD	RETIRED	ADVISER	
20	MATHURA PRASAD PANDEY	L.P.PANDEY	3A-3559SGM NAGAR, FARIDABAD	SERVICE	ADVISER	
21	MUKESH GHILDIYAL	LATE.MANGAT RAM SHARMA	H.NO-24A,SEHATPUR, FARIDABAD	SERVICE	ADVISER	

District Registrar of Societies FARIDABAD (Hr.) सत्यमेव जयते

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

इसके अतिरिक्त सदस्यता की निम्न शर्तें भी लागू होंगी।

(i.) सोसाइटी में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाताओं सहित अधिकतम सदस्यों की सीमा नहीं होगी।

(ii.) पात्रता:

सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के उद्देश्य से व्यक्तिः

(क) शामिल करने की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए।

(ख) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए।

(ग) फरीदाबाद में रह रहे गढ़वाली बन्धु जो अपना निजी स्कूल चला रहे हों, सभा या स्कूल के कर्मचारी अथवा ठेकेदार हों वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते। स्कूल से निकाले गये कर्मचारी या नौकरी छोड़ चुके कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

(घ) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए।

(ङ.) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं होना चाहिए।

(iii.) सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्गः

सोसाइटी निम्न अनुसार सदस्यों के दो विभिन्न प्रवर्गों की होगी:

(क) संस्थापक सदस्यः

सदस्य जो सोसाइटी के रजिट्रेशन के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान किया है। संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य भी समझे जायेंगे तथा यदि सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या 300 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेंगे।

(ख) आजीवन सदस्यः– किसी व्यक्ति को विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति इसके जीवन के लिए सोसाइटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा।

(iv.) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान :

(क) सोसाइटी की सदस्यता के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार से होगाः

कम संख्या	सदस्य की किस्म	सदस्यता शुल्क	प्रवेश शुल्क
1.	संथापक सदस्य	0	0
2.	आजीवन सदस्य	500/–रूपए	5/– रुपए

(v.) प्रवेश प्रकिया (सदस्यों के लिए):

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि॰)

गढ़वाल सभा फरीदाबाद

समिति की उपविधियां

1. सोसाइटी का नाम : गढ़वाल सभा, फरीदाबाद ।
2. पंजीकृत कार्यालय : बद्रीनारायण मन्दिर, 2 सी–एन.आई.टी.,फरीदाबाद।
3. कार्यक्षेत्रः जिला फरीदाबाद(हरियाणा)
4. वित्त वर्षः एक अप्रैल से 31 मार्च

5. सदस्यताः

गढ़वाल सभा का सदस्य प्रत्येक गढ़वाली व्यस्क स्त्री, पुरूष जो गढ़वाल मण्डल के जिलों पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी व देहरादून का मूल निवासी हो तथा सभा के संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए फरीदाबाद में कार्यरत हो अथवा निवास करता हो, सदस्य बन सकता है। सदस्य को गढ़वाली होने का अपना व अपने पूर्वजों का प्रमाण–पत्र के साथ वर्तमान में फरीदाबाद में रहने का अपना प्रमाण–पत्र देना होगा।

सभा की सदस्यता आजीवन ही होगी तथा कोई भी व्यक्ति संविधान के नियम की पूर्ति करते हुए पाँच रूपए प्रवेश शुल्क व 500 रुपए सदस्य शुल्क देने पर आजीवन सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने के लिए प्रत्येक महिला व पुरूष को सभा के मुद्रित प्रवेश–पत्र को पूरी तरह से भरकर देना होगा।

सदस्यता से पृथक होने के लिए सदस्य को लिखित रूप में अपना त्याग–पत्र देना होगा जो कि सभा के कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से ही स्वीकार समझा जायेगा। कार्यकारिणी केवल सभा के पदाधिकारियों के त्याग–पत्र को स्वीकार/अस्वीकार कर सकेगी।

कोई भी व्यक्ति सभा की सदस्यता ग्रहण किए बिना सार्वजनिक बैठक की कार्यवाही, निर्वाचन अथवा मतदान में भाग नहीं ले सकेगा। सदस्य अपना सदस्यता शुल्क सभा कार्यालय में अथवा सभा द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी को रसीद प्राप्त होने पर दे सकता हैं। सभा की कार्यकारिणी में पदाधिकारी के लिए वही सदस्य उम्मीदवार होगा तथा निर्वाचित हो सकेगा जो निरन्तर तीन वर्षों से सभा का सदस्य रहा हो तथा सभा की चल–अचल एवं अन्य ऐसी सम्पत्ति अथवा धनराशि जिस पर की सभा का अधिकार हो उनका देनदार न हो।

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि॰)

(क) सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय–समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

(ख) सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति विहित प्रारूप में तथा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसाइटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित महासचिव को वांछित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा।

(ग) महासचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय को सम्मुख रखेगा।

(घ) शासकीय निकाय आवेदन को स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(ड.) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जायेगा, उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम, 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(vi) <u>प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्रः</u>
सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा तीनों अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से किन्हीं दो द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्यौरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(vii) <u>सदस्यों के अधिकार तथा बाध्याएंः–</u>

(क) सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय–समय पर यथा संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य किए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों के भुगतान में चूककर्ता नहीं होना चाहिए अथवा उस पर सोसाइटी का कोई भी धन इत्यादि बकाया नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा, जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

(viii) <u>सदस्यता की समाप्तिः सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगाः</u>

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

(क) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबंधों को आकर्षित करने पर,
(ख) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर,
(ग) ऐसे सदस्य के सोसाइटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाने पर,
(घ) सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निर्देशनों पर,
(ड.) सोसायटी की कार्यकारिणी के विरूद्ध द्वेष भावना रखने पर।
(च) सदस्य के मृत्यु होने पर।

6. सामान्य निकायः

(क) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के सामान्य निकाय का सदस्य होगा तथा कॉलिजियम सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार नहीं होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किन्हीं देयों के भुगतान के बकायों में है।
(ख) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मतदान डालेगा तथा कोई भी प्रतिरूप मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

7. सोसाइटी का कॉलिजियमः

(क) सोसाइटी में सभी निर्वाचकगण इसके कॉलिजियम का गठन करेंगे,
(ख) प्रत्येक निर्वाचकगण लगभग 150 सदस्यों का होगा जो क्रमशः कॉलिजियम के एक सदस्य को निर्वाचित करेगा,
(ग) प्रत्येक निर्वाचकगण में विनिहित सदस्यों सहित निर्वाचकगण के विवरण तथा ब्योरे इन उपविधियों के अनुबन्ध एक के अनुसार संलग्न हैं। प्रत्येक निर्वाचकगण तथा प्रत्येक निर्वाचकगण के सदस्यों को विनिधान का आगामी गठन नए सदस्यों के प्रवेश से शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा तथा ऐसे ब्योरे सदस्यों को संसूचित किए जाएंगे तथा इनके कार्यालय में सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित भी किए जाएंगे।
(घ) निर्वाचकगण के सदस्यों के विनिधान में कोई परिर्वतन केवल निर्वाचकगण के सदस्यों की समाप्ति तथा नए सदस्यों के प्रवेश पर या किसी सदस्य के अनुरोध के विचारण पर यदि स्वीकृति को उचित पाया जाता है, किया जाएगा,
(ड) सोसाइटी का कॉलिजियम सभी उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए सामान्य निकाय के रूप में कार्य करेगा।

8. कॉलिजियम के निर्वाचन के लिए प्रकिया:

(क) सोसाइटी के संस्थापक सदस्य बिना किसी निर्वाचन के कॉलिजियम के सदस्य होंगे।

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

(ख) सोसाइटी के 105 सदस्य कॉलिजियम के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे। प्रत्येक सदस्य उसके सदन/निर्वाचकगण कर प्रतिनिधित्व करेगा।

(ग) कॉलिजियम की अवधि इसके गठन की तिथि से तीन वर्ष होगी।

(घ) शासकीय निकाय निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा निर्वाचन कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा सामान्य बैठक करने से कम से कम 90 दिन पूर्वमत के लिए हकदार प्रत्येक निर्वाचकगण के सदस्यों के ब्योरे भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। आगे, कॉलिजियम के निर्वाचन करवाने के लिए व्यक्तिगत नोटिस शासकीय निकाय द्वारा सूचित भी किया जाएगा। कॉलिजियम के निर्वाचन कराने की सूचना जिला रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी ताकि पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सके, यदि वह ऐसी इच्छा करता है।

(ड.) मत के लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी कॉलिजियम के सदस्यों को निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमन्त्रित करेगा।

(च) रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य को व्यक्तिगत रूप से तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(छ) मतदान के दिन ही समय की समाप्ति के बाद रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का कॉलिजियम गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी विधिवत हस्ताक्षरित कॉलिजियम के निर्वाचित सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा।

9. <u>सोसाइटी के कॉलिजियम की बैठकें:</u>

(क) सोसाइटी के कॉलिजियम की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापित, सोसाइटी के कॉलिजियम की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसाइटी के विधिवत लेख परीक्षित वार्षिक लेखों के

योगेश घुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर एक वर्ष के बुलाई जाएगी।

(ख) सोसाइटी का शासकीय निकास या तो वह स्वयं या कॉलिजियम के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोयाइटी के कॉलिजियम की असाधारण बैठक बुला सकता है।

(ग) कॉलिजियम की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारबार के एजेंडे की प्रति, बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस कॉलिजियम के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

(घ) कॉलिजियम की बैठक कॉलिजियम के सदस्यों के बहुमत से (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक), यदि सहमत हो, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(ङ.) कॉलिजियम की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम तीन के अध्यधीन, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। कॉलिजियम किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी स्थगित बैठक में कारबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसाइटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

(च) कालिजियम की सभी बैठकों की कार्यवाही सचिव द्वारा प्रायोजन के लिए अलग–अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक में अभिलिखित की जाएंगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जायेंगे।

10. <u>कॉलिजियम की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः</u>

(क) सोसाइटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।

(ख) पॉलिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसाइटी के नाम का परिवर्तन, सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम 2012 के अधीन अपेक्षित हों।

District Registrar of Societies
FARIDABAD (Hr.)

योगेश बुडाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

(ग) शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

11. शासकीय निकायः

(i). संयोजन सोसाइटी का शासकीय निकाय निम्नानुसार कुल 21 पदाधिकारियों तथा सदस्यों का होगा :

(1) प्रधान
(2) वरष्ठि उप–प्रधान
(3) उप–प्रधान
(4) महासचिव
(5) सचिव
(6) शिक्षा सचिव
(7) कोषाध्यक्ष
(8) उप–कोषाध्यक्ष
(9) सांस्कृतिक सचिव
(10) सभा सचिव
(11) संगठन सचिव
(12) प्रचार सचिव
(13) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित 9 सलाहकार।

इसके अलावा शासकीय निकाय सभा का आन्तरिक निरीक्षक का चयन कर सकती है। वह व्यक्ति कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों में से चयन नहीं किया जाएगा तथा उसको सभा का सदस्य होना अनिवार्य है।

District Registrar of Societies
सत्यमेव जयते
FARIDABAD (Hr.)

(ii). शासकीय निकाय का निर्वाचनः

(क) शासकीय निकाय अवधि रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष होगी।

(ख) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार कॉलिजियम के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकास तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकास के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना पर्यवेक्षक को नियुक्त करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करे।

(ग) मत के लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची में किसी आक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जायेगा। तथापि रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी कॉलिजियम के सदस्यों को निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमन्त्रित करेगा।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य को व्यक्तिगत रूप से तथा सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ङ.) मतदान के दिन ही समय की समाप्ति के बाद रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का कॉलिजियम गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कॉलिजियम के निर्वाचित सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा।

(च) सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी की सेवाएं देने के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे लेकिन उनको कार्य करने के लिए खर्चे/भत्ते दिए जाएंगे।

(iii). <u>शासकीय निकास की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना:</u>

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसाइटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर कॉलिजियम के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हों, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय की ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा। यदि उसकी नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

(iv). <u>शासकीय निकाय की बैठक:</u>

(क) शासकीय निकाय की बैठक में जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापि शासकी निकास प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा एक वित वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होंगी।

(ख) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि शासकीय निकाय

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से, जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

(ग) शासकीय निकाय की बैठक की गणपूर्ति अधिकतम 5 सदस्यों के अध्यधीन शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विधमान नहीं है तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(घ) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जायेंगे। यदि अध्यक्ष या महासचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(ङ.) शासकीय निकास को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जायेंगे।

(v). <u>शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य</u>

(क) शासकीय निकाय सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा, जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियों के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा।

(ख) शासकीय निकाय, इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

(ग) शासकीय निकाय सोसाइटी से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पत्तियों तथा चल परिसम्पत्त्यिों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसाइटी के कॉलिजियम के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे।

(घ) शासकीय निकाय रीति जो यह सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में उचित समझे, में निधियां निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसाइटी की ओर से सम्पत्तियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

(ङ.) ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सोंपे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थायी तदर्थ समितियां गठित करना।

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)
2सी, एन.आई.टी. फरीदाबाद

(च) सीविनहीन रीति में लिपिकीय कृत्य, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।

(छ) बाहरी स्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात सोसाइटी के परिसरों की सफाई, सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां।

(ज) शासकीय निकाय सोसाइटी द्वारा संचालित सभी विद्यालयों, मन्दिरों, सिलाई–कढ़ाई केन्द्रों का संचालन करेगा तथा सभा द्वारा संचालित बी.एन. पब्लिक स्कूल का पूरा कारोबार देखेगा तथा उसके संचालित करने के लिए सभी जरूरतों तथा कृत्यों को करने के लिए योग्यतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। मन्दिरों में पंडितों की नियुक्ति करेगा।

(झ) शासकीय निकाय समय–समय पर स्थाई / अस्थाई नियम / उपनियम भी बना सकती है।

(त्र) किसी भी विषय या समस्या पर जिसका समाधान संविधान में अंकित न हो, उस पर शासकीय निकाय को अपना निर्णय देने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसा निर्णय सभा के नियमों के रूप में मान्य होगा।

(vi). <u>शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः</u>

1. <u>प्रधानः</u>

(क) कॉलिजियम की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय समय पर कॉलिजियम तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ग) किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है।

(घ) सोसाइटी या शासकीय निकाय के उचित या पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।

(ङ.) हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना।

(च) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों / उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना।

(ज) आवश्यकता पड़ने पर सभा कार्य हेतु 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक की राशि व्यय कर सकता है।

District Registrar of Societies
FARIDABAD

योगेश बुडाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

2. <u>वरिष्ठ उपप्रधानः</u>

(क) प्रधान को उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।
(ख) प्रधान की अनुपस्थिति में उसकी ओर से कार्य करना तथा प्रधान के सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।
(ग) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

3. <u>उप प्रधानः</u>
(क) वरिष्ठ उप–प्रधान को उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।
(ख) वरिष्ठ उप–'प्रधान की अनुपस्थिति में उसकी ओर से कार्य करना तथा प्रधान के सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।
(ग) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

District Registrar of Societies FARIDABAD

4. <u>महासचिवः</u>
(क) प्रधान के अधीनस्त कार्यकारिणी का प्रमुख कार्यकर्ता समझा जायेगा।
(ख) सभा से सम्बन्धित सभी प्रकार के दस्तावेजों के देखरेख करना तथा उन्हें सुरक्षित रखना, महासचिव का प्रमुख कर्त्तव्य होगा। सभा से सम्बन्धित पत्र व्यवहार का उत्तरदायी होगा तथा कार्यकारिणी की बैठक में पत्र व्यवहार का उत्तरदायी होगा तथा कार्यकारिणी की बैठक में समिति के कार्य का विवरण प्रस्तुत करेगा।
(ग) सभा की समस्त बैठकों का आयोजन करेगा।
(घ) प्रधान की सहमति से कॉलिजियम तथा शासकीय निकाय की बैठकें आयोजित करना तथा उनका उचित नोटिस जारी करना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का रिकार्ड करना।
(ड.) समिति की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में कॉलिजियम के सम्मुख उसे रखने के लिए, अनुमोदन के लिए, समिति के आडिटिड वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।
(च) सभा द्वारा की गई प्रगति व सभा का लेखा–जोखा कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात सार्वजनिक सभा में प्रस्तुत करना।
(छ) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक <u>विवरणी / दस्तावेजों</u> तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को निश्चित समय

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

पर दायर करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम , 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निहित किए जाएं।

(ज) समिति की सामान्य मोहर की सुरक्षा समिति की ओर से पत्राचार, वैधानिक रजिस्टरों तथा रिकार्डों का रखरखाव, निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार करना तथा समिति के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यक सभी कार्यों का निस्पादन करना।

(झ) सभा के कार्य हेतु 7,000 रुपये (सात हजार रुपये) तक व्यय कर सकेगा।

5. <u>सचिवः</u>

(क) सोसाइटी के महासचिव/सचिव की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

(ख) शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक उसकी अनुपस्थिति में सोसाइटी के महा सचिव/सचिव के कृत्यों का निर्वहन करना।

(ग) ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों को देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय समय पर सोसाइटी के शासकीय निकाय द्वारा उसे सौंपे तथा प्रत्योजित किए जाएं।

6. <u>शिक्षा सचिवः</u>

(क) शिक्षाविद, अनुभवी एवं स्नातक व्यक्ति ही शिक्षा सचिव का पदभार ग्रहण कर सकेगा।

(ख) प्रधान, महासचिव व कोषाध्यक्ष के परामर्श से स्कूल सम्बन्धी समस्त कार्यो का संचालन करना। कार्यकारिणी की बैठक में स्कूल सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करना।

(ग) विद्यालयों को प्रगति पथ पर अग्रसर करना।

(घ) विद्यालय से सम्बन्धित कार्यकारिणी द्वारा पारित निर्देशों का पालन करना।

(ड.) विद्यालय से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों के दस्तावेज अपनी देखरेख में रखेगा।

(च) शासकीय निकाय विद्यालय के बीच मध्यस्ता का कार्य करेगा।

7. <u>कोषाध्यक्षः</u>

(क) सोसाइटी के सभी वित्तीय संव्यहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकार्ड रखना।

District Registrar of Societies FARIDABAD (Hr.) सत्यमेव जयते

धीनेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

(ख) प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना।

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसाइटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखें महासचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।

(घ) सोसाइटी के सभी लेखें, पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरो, बैंक पास बुक तथा चेक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

(ड.) प्रधान एवं महासचिव की सलाह से भुगतान करेगा।

(च) कोषाध्यक्ष की योग्यता वाणिज्य–स्नातक होनी चाहिए।

8. उप–कोषाध्यक्षः

(क) कोषाध्यक्ष को लेखा–जोखा सम्बन्धी कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग देगा।

(ख) सदस्यता पंजिका का लेखा–जोखा तैयार करना तथा कार्यकारिणी की बैठक में सदस्यता सूची व सदस्यता शुल्क से अवगत कराना।

9. सांस्कृतिक सचिवः

(क) सभा एवं विद्यालय सम्बन्धी सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों को करने का मुख्य कार्यकर्ता होगा।

(ख) कार्यकारिणी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करेगा।

(ग) समय–समय पर अपने विवेक से सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक व धार्मिक कार्यक्रमों की रूप–रेखा तैयार करना तथा उपरोक्त कार्यक्रमों के प्रति पूर्ण उत्तरदाायित्व निभाना।

(घ) रामलीला व अन्य सांस्कृतिक समारोहों से सम्बन्धित सम्पत्ति/सामान का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

10. सभा सचिवः

सभा की समस्त बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही पंजिका में अंकित करेगा। बैठक की समाप्ति पर पूर्ण लिखित कार्यवाही को बैठक में उपस्थित सदस्यों को सुनाएगा।

11. संगठन सचिवः

कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के सहयोग से संगठन को प्रभावशाली बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा तथा संगठन को विघटनकारी तत्वों से सावधान रखेगा। इसके अतिरिक्त

योगेश कुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)
3बी, एन.आई.टी., फरीदाबाद

कार्यकारिणी को अपने सुझाव देगा ताकि सभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति से सक्षम हो सके।

12. <u>प्रचार सचिवः</u>

(क) सभा की बैठकों/विशेष आयोजित कार्यकमों व पत्राचारों की सूचना कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में पहुँचाना अथवा प्रचार करना प्रचार सचिव का मुख्य कार्य होगा।

(ख) सभा व विद्यालय की प्रगति हेतु गढ़प्रवासी जनता को अपने व्यावहारिक प्रचार द्वारा सभा के कार्यकलापों में रूचि रखने के लिए आकर्षित/प्रेरित करना।

12. <u>शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति–शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेंगेः–</u>

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर

(ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है।

(ग) यदि उसे कॉलिजियम की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

13. <u>सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जनः</u>

(क) सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा।

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारी तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या परिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति निकट सम्बन्धी है।

14. <u>सोसाइटी का संगम ज्ञापन उपविधियों तथा नाम इत्यादि में संशोधन–</u>

सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों, या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल कॉलिजियम के अनुमोदन से ही किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति सहित किस ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महासचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जाएगी जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

District Registrar of Societies
सत्यमेव जयते
FARIDABAD (Hr.)

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)
... आई.टी. फरीदाबाद

15. <u>सोसाइटी का परिसम्पत्ति तथा निधियों का प्रबन्धनः–</u>

(क) सोसाइटी के आय के स्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पत्ति से किराया, ब्याज परामर्श फीस, दान, उपहार अनुदान इत्यादि के मद में प्राप्तियां शामिल होंगी। सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती हैं। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति से सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

(ख) शासकीय निकाय वित वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी का वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुदान करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में कॉलिजियम के सम्मुख उसकी एक प्रति भी रखेगा।

(ग) सोसाइटी के बैंक लेखे प्रधान/महासचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा संचालित किए जाएंगे तथा किन्ही दो द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित मान्य होंगे।

(घ) सभी परिसम्पत्ति तथा निधियां सोसाइटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसाइटी में निहित होंगी।

(ङ.) सोसाइटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजों के माध्यम से किए जाएंगे (अर्थात डीडी/पे–ऑडर/चैक/बैंक ट्रांसफर /आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल हैं, तथापि शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है।

16. <u>सोसाइटी के लेखे:</u>

(क) सोसाइटी का खजांची आयकर कानून तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात रोकड़ बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पत्ति तथा दयित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत का चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ख) सोसाइटी की लेखा पुस्तकें सोसाइटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी। सदस्य आम सभा में कोई भी जानकारी संबंधित पदाधिकारी द्वारा ले सकता है।

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)

(ग) सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के प्रधान, महासचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जायेंगे।

(घ) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किए जाएं, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखपरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा।

17. <u>सामान्य मुद्रा:</u>

सेसाइटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महासचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी।

18. सोसाइटी का समामेलन:

सोसाइटी स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसाइटी को अनुज्ञात कर सकती है।

District Registrar of Societies
सत्यमेव जयते
FARIDABAD (Hr.)

19. सोसाइटी का विघटन:

(क) सोसाइटी अधीनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वयं विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है। यदि सोसाइटी की प्रकिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

(ख) सोसाइटी के विघटन की घटना में, सोसाइटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसाइटी के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी।

(ग) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तो छोड़ी गई सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी।

योगेश बुड़ाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)
2सी, एन.आई.टी. फरीदाबाद

21. <u>अन्यः</u>

उपरोक्त उपविधियों में यदि कोई प्रावधान छूट गया है तो उसे शासकीय निकाय द्वारा अपनी बैठक में निर्धारित किया जायेगा। परन्तु ऐसा निर्णय हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के विरूद्ध नहीं होगा।

समाप्त

District Registrar of Societies, Faridabad (Hr.)
सत्यमेव जयते

योगेश बुड़ाक
गढ़वाल सभा
2सी, एन.आई.टी.

20

GOVERNING BODY OF THE GARHWAL SABHA(REG.)

The following persons, whose names & addresses are subscribed hereunder, agree to the memorandum and by-laws of the sociery shall constitute the governing body of the society hereinafter;

Sr.No	Name	Father's/Husband	Address	Designation	Signatures	Photo
1	RAKESH GHILDIYAL	LATE. MANGAT RAM SHARMA	H.NO-62 SEHATPUR FARIDABAD	PRESIDENT	Rakesh	
2	PRATAP SINGH BAGRI	LATE.NATHU SINGH BAGRI	FCA-2257, B-BLOCK, SGM NAGAR	SR.VICE PRESIDENT		
3	SATISH RAWAT	LATE.SADHA SINGH	H.NO-845,JAWAHAR COLONY, FARIDABAD	VICE PRESIDENT	Satish	
4	YOGESH BUDAKOTI	LATE.NATHI RAM SHARMA	H.NO-883,JAWAHAR COLONY, FARIDABAD	GENERAL SECRETARY		
5	BHOPAL SINGH GUSAIN	SHYAM SINGH	H.NO D776, DABUA COLONY, FARIDABAD	SECRETARY	Bhopal	
6	PREM SINGH PATWAL	SHEN SINGH PATWAL	H.NO-F-8318B.APNAGHAR FARIDABAD	EDUCATION SECRETARY		
7	P.N.BHATT	LATE.U.S.BHATT	H.NO-1960,SEC-8, FBD	TREASURER	Bhatt	

District Registrar of Societies FARIDABAD (Hr.) सत्यमेव जयते

योगेश बुडाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)
2सी, एन.आई.टी. फरीदाबाद

GOVERNING BODY OF THE GARHWAL SABHA(REG.)

The following persons, whose names & addresses are subscribed hereunder, agree to the memorandum and by-laws of the sociery shall constitute the governing body of the society hereinafter;

8	BALWANT SINGH NEGI	DEWAN SINGH NEGI	FCA-599,SGM NAGAR FBD.	DEPUTY TREASURER		
9	VINOD NEGI	SANKAR CHAND NEGI	267A/6,DURGA ENCLAVE, FARIDABAD	CULTURAL SECRETARY		
10	VIRENDER SINGH NEGI	RAM SINGH NEGI	E-1057,DABUA COLONY, FARIDABAD	OFFICE SECRETARY		
11	GAJINDER SINGH RANA	PAR SINGH RANA	DC-579,DABUA COLONY,FBD.	ORGN. SECRETARY		
12	VINOD PD.NAUTIYAL	DEVKI NANDAN NAUTIYAL	F-2/77,DURGA BIHAR, FARIDABAD	COMMUNICATION SECRETARY	Vinod	
13	T.R.DOBRIYAL	LATE.M.D.DOBRIYAL	FCA-1904,SGM NAGAR FARIDABAD	ADVISER		
14	ARVIND BHATT	SH.MAHESH BHATT	H.NO-2227A,SEC-3 FARIDABAD	ADVISER		
15	DIGVIJAY RANAWAT	MANGAL SINGH RANAWAT	FCA-144, SGM NAGAR, FARIDABAD	ADVISER		

District Registrar of Societies FARIDABAD (Hr.)

योगेश ... महासचिव गढ़वाल सभा (रजि.) 2सी, एन.आई.टी. फरीदाबाद

GOVERNING BODY OF THE GARHWAL SABHA(REG.)

The following persons, whose names & addresses are subscribed hereunder, agree to the memorandum and by-laws of the sociery shall constitute the governing body of the society hereinafter;

16	SHIV SINGH RAWAT	M.S.RAWAT	B-2221,SGM NAGAR, FARIDABAD	ADVISER		
17	GURU PRASAD UVIYAL	LATE.KALI RAM	H.NO-696,INDRA NAGAR, FARIDABAD	ADVISER		
18	DIGPAL SINGH RAWAT	MADAN SINGH RAWAT	1503/7.PARWATI YA COLONY, FARIDABAD	ADVISER		
19	JASWANT SINGH RAWAT	KHYAT SINGH	D/A 1540A, DABUA COLONY. FARIDABAD	ADVISER		
20	MATHURA PRASAD PANDEY	L.P.PANDEY	3A-3559SGM NAGAR, FARIDABAD	ADVISER		
21	MUKESH GHILDIYAL	LATE.MANGAT RAM SHARMA	H.NO-24A,SEHATPUR, FARIDABAD	ADVISER	मुकेश चन्द	

District Registrar of Societies FARIDABAD (HR.) सत्यमेव जयते

योगेश कुडाकोटी
महासचिव
गढ़वाल सभा (रजि.)
2सी, एन.आई.टी. फरीदाबाद

Certified to be true Copy

District Registrar of Societies
Faridabad (Haryana)